



कोयला कारोबारी बिपिन मिश्रा पर गोलीबारी का मामला प्रेम पांडेय समेत 6 अपराधी गिरफ्तार

अगर साव के कहने पर प्रेम पांडेय ने लगायी थी विपिन मिश्रा पर गोली, आकाश ने दिलगाये थे हथियार। घास पिटल, 26 गोलियां और एक बाइक बरामद की गयी।

आजाद सिपाही संवाददाता रंची। बरियातु में 7 मार्च की सुबह कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी। इस घटना में विपिन मिश्रा घायल हो गये थे। डीआइजी सह एसएसपी चंदन सिहा के निर्देश पर गठित पुलिस की टीम ने इस घटना में शामिल प्रेम पांडेय ने बक्सर से आये शुटर अविनश ठाकुर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अपराधियों में प्रेम पांडेय, रहमान अंसारी, करण कुमार, अविनश ठाकुर, शोभित सिंह और विशाल मुंडा शामिल हैं। इनके पास से चार पिटल, 26 गोलियां और एक बाइक बरामद की गयी है। गिरफ्तारी के दौरान प्रेम पांडेय और रहमान अंसारी भागने की कोशिश में पुलिस की गाड़ी से कूद गये, जिससे दोनों के पैर और अंसारी के गंभीर चोटें आयी हैं।



आकाश राय ने दिया था हथियार

रायपुर जेल में बंद रहने के दौरान गैंगस्टर अमन साव (मृत) के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। प्रेम पांडेय के जरिए इस घटना को अंजाम दिलगाया गया। घटना को अंजाम देने के लिए जेल में बंद आकाश राय उर्फ मानू ने प्रेम पांडेय को हथियार उपलब्ध कराया था। इसके बाद प्रेम पांडेय ने बक्सर से आये शुटर अविनश ठाकुर अपराधियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अपराधियों में प्रेम पांडेय ने श्री रामकृष्ण इक्वेट में छारया था। घटना के दिन वाहन चलाने में रहमान और दोनों शूटर घटनास्थल पर थे। दोनों शूटरों को

कार पर की थी गोलीबारी

7 मार्च को बरियातु में विपिन मिश्रा पर गोलीबारी की घटना हुई थी। एक बाइक पर सवार होकर आये तीन अपराधियों ने विपिन मिश्रा की कार पर गोलीबारी की थी। गोलीबारी में विपिन मिश्रा को दो गोलियां लगी थीं। विपिन मिश्रा के निजी और सरकारी बॉडीगार्ड ने जब अपराधियों पर जवाबी फायरिंग की, तो वे फरार हो गये थे। फायरिंग के बाद अमन साव के गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर घटना की जिम्मेदारी ली थी। इसी दौरान 11 मार्च को छत्तीसगढ़ से रांची लाने के दौरान अमन साव एनकाउंटर में मारा गया।

सिंह के गेस्ट हाउस में रह रहा था। प्रेम पहले विकास तिवारी के गिरोह में काम करता था। उसके चर्चेर भारी भरत पांडेय को जनवरी 2025 में पलायु चैनपुर में मारी गयी थी। गोलीबारी के बाद राय के मायम से सिंगल एप से बात की ओर कहा कि मेरे मैंग में आ जाओ, मेरा काम करेंगे तो सुरक्षित होंगे। विकास तिवारी से लड़ाई

के कारण वे अमन साहू के गैंग में सुरक्षित हो गया और जेल से काम करने लगा।

28 फरवरी को शहीद चौक रांची में मानू राय के आदमी ने अमन पांडेय को कहने पर हो गया था। इसके बाद विपिन मिश्रा को गोली भारी भरत पांडेय ने लाखरु रुपये भेज रहा, जिसे कारण से प्राप्त किया गया। इसके बाद विपिन मिश्रा को गोली भारने की सजिश रची गयी।

कारण वे अमन साहू के गैंग में सुरक्षित हो गया था।

रंची। श्री श्री महाबली हनुमान भक्त मंडल ने पहली मंगलवारी शोभायात्रा निकाली। जो रात रोड होते हुए महाबीर चौक पहुंची। बजरंगबली मंदिर में झंडा पूजा किया गया। उसके बाद ढोल-ताशा के साथ और अखड़े के सभी लोग तलवाराजी और तरह-तरह का प्रदर्शन करते दिखे। पौके पर मुख्य रूप से अध्यक्ष अमित सोनी संस्थक शंकर प्रसाद, प्रेम चौधरी, मंजीत सिंह, मंटु सिंह, नोरज कुमार, गौतम रीत राज, संतोष गुप्ता, मिक्की

बन्नी सोनी, लॉकिं समयाभाव की जहां सुनवाई नहीं हो सकी।

बन्नी सोनी, सह मंत्री अंशु तिर्की,

सागर सोनी, मनीष नायक, कुमार गौरव, प्रचार मंत्री मोहित सोनी, जलूस प्रभारी अंकित सोनी, संतु यादव, करण पाठक, आयुष सोनी मीडिया प्रभारी राजवीर चौधरी, सौरभ राय मौजूद थे।

श्रीधर डांडीन बने एसबीयू के रजिस्ट्रार



आजाद सिपाही संवाददाता रंची। श्रीधर बी डांडीन को सरला बिरला विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। उन्होंने मंगलवार को विवि के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रिस्ट्रिक्शन संचालन में अपना पदभार संभाला। इस दौरान विवि के अधिकारी और शिक्षकण उपस्थित हो रहे।

श्रीधर डांडीन ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर्नाटक विश्वविद्यालय से की है। बाद में एविएटिव विश्वविद्यालय से की है। बाद में बिट्स पिलानी से सॉफ्टवेयर सिस्टम में उन्होंने मास्टर्स किया। अध्ययन और प्रशासनिक क्षेत्र में दाँड़ दशकों से भी अधिक का उनका लाभ अनुभव रहा है। वर्ष 2020 में उन्होंने एसबीयू में भी इंजीनियरिंग एंड एप्लाइड साइंस के डांडीन को लाभ दिया गया है।

डीजीपी नियुक्ति के मामले में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई अब 25 को

रंची (आजाद सिपाही)। झारखंड के डीजीपी पर प्रेम पांडेय गुप्ता की नियुक्ति के सिलाकार दायर अवमानना याचिका की सुनवाई मंगलवार नहीं हो सकी।

इस मामले की सुनवाई अब 25 मार्च को होनी की सम्भवता है। नीति प्रतिपक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मराठी ने अनुराग गुप्ता की डीजीपी के रूप में नियुक्ति को संप्रीत कर्तव्य के अंतर्गत दिया है। इसकी सुनवाई 18 मार्च को सीमी कोर्ट के मुख्य न्यायालय संघीय खाली न्यायालयीय संज्ञय कुमार और न्यायालयीय संज्ञय कुमार ने दोनों भागों को अंग्रेजी में भी अप्रैल 2022 में विकास

डीजीपी नियुक्ति के मामले में दायर

अवमानना याचिका की सुनवाई अब 25 को

रंची (आजाद सिपाही)। झारखंड के डीजीपी पर प्रेम पांडेय गुप्ता की नियुक्ति के सिलाकार दायर अवमानना याचिका की सुनवाई मंगलवार नहीं हो सकी।

इस मामले की सुनवाई अब 25 मार्च को होनी की सम्भवता है। नीति प्रतिपक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मराठी ने अनुराग गुप्ता की डीजीपी के रूप में नियुक्ति को संप्रीत कर्तव्य के अंतर्गत दिया है। इसकी सुनवाई 18 मार्च को सीमी कोर्ट के मुख्य न्यायालय संघीय खाली न्यायालयीय संज्ञय कुमार और न्यायालयीय संज्ञय कुमार ने दोनों भागों को अंग्रेजी में भी अप्रैल 2022 में विकास

के अंतर्गत दिया है। इसकी सुनवाई अब 25 मार्च को सीमी कोर्ट के मुख्य न्यायालय संघीय खाली न्यायालयीय संज्ञय कुमार और न्यायालयीय संज्ञय कुमार ने दोनों भागों को अंग्रेजी में भी अप्रैल 2022 में विकास

के अंतर्गत दिया है। इसकी सुनवाई अब 25 मार्च को सीमी कोर्ट के मुख्य न्यायालय संघीय खाली न्यायालयीय संज्ञय कुमार और न्यायालयीय संज्ञय कुमार ने दोनों भागों को अंग्रेजी में भी अप्रैल 2022 में विकास

के अंतर्गत दिया है। इसकी सुनवाई अब 25 मार्च को सीमी कोर्ट के मुख्य न्यायालय संघीय खाली न्यायालयीय संज्ञय कुमार और न्यायालयीय संज्ञय कुमार ने दोनों भागों को अंग्रेजी में भी अप्रैल 2022 में विकास

के अंतर्गत दिया है। इसकी सुनवाई अब 25 मार्च को सीमी कोर्ट के मुख्य न्यायालय संघीय खाली न्यायालयीय संज्ञय कुमार और न्यायालयीय संज्ञय कुमार ने दोनों भागों को अंग्रेजी में भी अप्रैल 2022 में विकास

के अंतर्गत दिया है। इसकी सुनवाई अब 25 मार्च को सीमी कोर्ट के मुख्य न्यायालय संघीय खाली न्यायालयीय संज्ञय कुमार और न्यायालयीय संज्ञय कुमार ने दोनों भागों को अंग्रेजी में भी अप्रैल 2022 में विकास

के अंतर्गत दिया है। इसकी सुनवाई अब 25 मार्च को सीमी कोर्ट के मुख्य न्यायालय संघीय खाली न्यायालयीय संज्ञय कुमार और न्यायालयीय संज्ञय कुमार ने दोनों भागों को अंग्रेजी में भी अप्रैल 2022 में विकास

के अंतर्गत दिया है। इसकी सुनवाई अब 25 मार्च को सीमी कोर्ट के मुख्य न्यायालय संघीय खाली न्यायालयीय संज्ञय कुमार और न्यायालयीय संज्ञय कुमार ने दोनों भागों को अंग्रेजी में भी अप्रैल 2022 में विकास

के अंतर्गत दिया है। इसकी सुनवाई अब 25 मार्च को सीमी कोर्ट के मुख्य न्यायालय संघीय खाली न्यायालयीय संज्ञय कुमार और न्यायालयीय संज्ञय कुमार ने दोनों भागों को अंग्रेजी में भी अप्रैल 2022 में विकास

के अंतर्गत दिया है। इसकी सुनवाई अब 25 मार्च को सीमी कोर्ट के मुख्य न्यायालय संघीय खाली न्यायालयीय संज्ञय कुमार और न्यायालयीय संज्ञय कुमार ने दोन

रांची-आसपास

नाराजगी : प्रखंड कार्यालय पहुंची मईयां सम्मान योजना से वंचित महिलाएं आक्रोशित महिलाओं ने कहा- दस्तावेज में ग्रुटि तो सुधार करें, नाम क्यों काट रहे

आजाद सिपाही संवाददाता

बेड़ो। होली से पहले मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के लाभुकों को एक साथ तीन कार्यालय के 7500 रुपये खाते में आया है। जिन लाभुकों को मोड़ाइल में भेजें तरीं आया वे प्रखंड कार्यालय खुलते ही जानकारी लेने पहुंच गये। काफी संख्या में महिलाएं प्रखंड कार्यालय स्थित सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में सुबह से कतारबद्ध होकर खड़ी दिखतीं। सभी महिलाएं आवार कार्ड और बैंक खाता लेकर पहुंची थीं। सभी जान चाह रहीं थीं कि उनके खाते में पैसा आवार का आयेगा। वहाँ आपरेटर संतोष निवारा ने महिलाओं को जानकारी देने में जुट थे। वहीं, आवश्यक दस्तावेज पूरे होने के बावजूद कई महिलाओं को योजना



प्रखंड कार्यालय पहुंच कर मईयां सम्मान योजना की राशि नहीं आने का कारण पहुंची महिलाएं।

का लाभ नहीं मिलने से वंचित महिलाओं में आक्रोश व्याप्त था। महिलाओं का आरोप है कि सरकार की नीति में परदर्शिता की कमी है।

यहीं कारण है प्रखंड के सेकड़ों महिलाएं, मईयां सम्मान योजना से वंचित हैं। वंचित महिलाओं का कहना है कि सरकार एक ओर

कि अगर दस्तावेज में ग्रुटि है तो सुधार कर योजना का लाभ व्यापारीद्वारा दिया जाए। नाम वर्तों का चाचा जा रहा है। महिलाओं ने कहा कि यहाँ तो एक तरह का फैशनी आ गई है। पहले सरकार ने योजना को लाभ दिया। लेकिन अब लाभुक सूची से नाम हटा दिया जा रहा है। यह सरकार को पहले ही तय कर लेना चाहिए था कि किसे देना है और किसको नहीं देना है। पहले हम योजना का लाभ पाकर खुश थे। अब नाम कटने से दुखी हैं। इधर, मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष से 49 वर्ष कुछ महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिया जा रहे हैं। होली से पूर्व साड़े सात हजार रुपये लाभार्थियों के खातों में भेजा गया है।

विशेष मध्यस्थता अभियान के दूसरे दिन कुल 25 मामलों का निष्पादन



अनगढ़ा (आजाद सिपाही)। ज्ञालसा के निर्देश पर मंगलवार के अगले दिन लाभार्थियों के लिए भटक रहे हैं। विशेष मध्यस्थता अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को परिवार न्यायालयों से कुल 34 मामलों में अग्रसारित होकर मध्यस्थता केंद्र में आये। जिसे अलान-अलान मध्यस्थतों को सौंपा गया। इसमें कुल 25 मामलों में सफलता मिली और दोनों पक्ष राजी-खुशी से अपने मामले को समाप्त करने के तैयार हो गये। अन्य मामलों में अपी अंतिम स्तर की बातचीत बाकी है, इसलिए वे विशेष मध्यस्थता के पास अपले स्तर की सुनवाई के लिए लौट चले। बातों चले कि यह मध्यस्थता अभियान 17 से 21 मार्च तक चलेगा, जिसमें वादकारी अपने वादों का मध्यस्थता के मध्यस्थता से सुलझा सकते हैं। इस विशेष मध्यस्थता अभियान में रांची व्यवहार न्यायालय के मध्यस्थतों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है।

लापुंग में 26 को आयोजित होगा सरहुल मिलन समारोह

लापुंग (आजाद सिपाही)। प्रखंड स्तरीय सरहुल मिलन समारोह का आयोजन 26 मार्च को होगा। जिसे लेकर लापुंग प्रखंड के सापुकेरा वाजार टांड से भगवान विरसा मुंडा और वीके की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पुनः सापुकेरा वाजार टांड में सरहुल मिलन समारोह के बाद बैठक के तब्दील होगा। इस दौरान अतिथियों को समाप्ति किया जाएगा। वहीं, बैठक में सरहुल मिलन समारोह की रूपरेखा तय की गई।

